

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

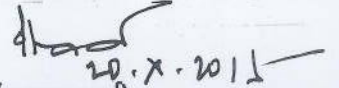
क्रमांक:- एफ.3(ख) (एस-343/1986)/अलेसे-11/

दिनांक :- 20/10/2015

कार्यालय आदेश

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/15/2101-03 दिनांक 12.10.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा (अतिरिक्त कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) शाहपुरा, जिला भीलवाडा) में कार्यरत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सलेअ-ग्रेड-11 को 1,000/- रुपये की रिश्त मांगकर प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा द्वारा दिनांक 07.10.2015 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध अपराध संख्या 279/2015 दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया है।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सलेअ-ग्रेड-11 को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 07.10.2015 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री शर्मा का मुख्यालय कोषालय, चित्तौडगढ किया जाता है। श्री शर्मा को निलम्बन काल में नियमानुसार 50% निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख) (एस-343/1986)/अलेसे-11/22008 से 22019

दिनांक :- 20/10/2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/15/2101-03 दिनांक 12.10.2015 के क्रम में प्रेषित कर अनुरोध है कि श्री शर्मा के विरुद्ध प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
2. कोषाधिकारी, भीलवाडा / चित्तौडगढ।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), शाहपुरा (भीलवाडा)।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-निदेशक महोदय।
6. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सलेअ-11 कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा अतिरिक्त कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), शाहपुरा (भीलवाडा)।
7. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
8. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(डा० मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11)